

INDIAN REGISTRATION ACT, 1908 & RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

BY - BHAGWAT SINGH RATHORE
R.T.S.
RESEARCH OFFICER
R.R.T.I. AJMER

2. संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गए कानूनों में विरोधाभास होने पर उसका प्रभाव :-

- संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रावधान है कि यदि समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद एवं राज्य विधान मण्डल दोनों द्वारा बनाये गए कानूनों में यदि कोई विरोधाभास हो तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। किन्तु यदि विधान मण्डलों द्वारा बनाये गए कानून पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली जाती है तो विरोधाभास होते हुए भी राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य में प्रभावी होगा।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 नए प्रावधान

- धारा 2 में निम्नलिखित नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं :-
- "स्थावर सम्पत्ति" के अंतर्गत भूमि, भूमि से होने वाले फायदे और भू-बद्ध, या किसी भू-बद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं हैं किन्तु इसके अन्तर्गत खड़ा हुआ काष्ठ, उगी हुई फसलें या घास नहीं हैं।
- "जंगम सम्पत्ति" (चल सम्पत्ति) के अंतर्गत खड़ा हुआ काष्ठ उगी हुई फसल या घास, वृक्षों के फल या रस, और स्थावर सम्पत्ति को छोड़कर अन्य प्रकार की सम्पत्ति है।
- "बाजार मूल्य" ऐसी किसी भी सम्पत्ति के संबंध में, जो लिखत की विषय वस्तु है "बाजार मूल्य" से वह कीमत है, जो ऐसी सम्पत्ति के लिए प्राप्त हुई होती यदि उसे उक्त लिखत के तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता या लिखत में कथित प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, अभिप्रेत है।
- "लोक अधिकारी" से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 2 के खण्ड (17) में यथा परिभाषित कोई लोक अधिकारी अभिप्रेत है।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998

राज्य का प्रथक कानून बनाने के संबंध में संवैधानिक स्थिति

1. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन :-
भारतीय संविधान के अध्याय 11 में केन्द्र और राज्य के संबंधों का विवेचन किया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां दी गई हैं :-
संघ सूची :- इसमें वर्णित विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है।

राज्य सूची:- इसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मण्डलों को है।

संवर्ती सूची:- इसमें वर्णित विषयों पर संसद एवं राज्य विधान मण्डल दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है।

3- मुद्रांक कर की दरों के निर्धारण की शक्तियों का विभाजन :-

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची (समवर्ती सूची) के आइटम नम्बर 44 में स्टाम्प ड्यूटी की दरों एवं न्यायिक स्टाम्प को छोड़कर स्टाम्प ड्यूटी का विषय अंकित है,
- सरकार द्वारा "भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899" बनाया हुआ है।
- "राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952" द्वारा अपनाया हुआ था।
- राजस्थान राज्य ने अपना अलग "राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998" बना लिया।
- वर्तमान में इसी एक्ट के प्रावधान राजस्थान राज्य में दिनांक 27.05.2004 से प्रभावी हैं।

नए प्रावधान

- धारा-55
- अनिवार्य पंजीयन योग्य दस्तावेजों का पंजीयन मुद्रांक कर से बचने की नियत से नहीं करवाने के मामलों में राजस्थान मुद्रांक नियमावली के नियम 66 सी में दिये गये प्रावधानों को इस अधिनियम में धारा 55 के रूप में शामिल किया गया है।
- धारा-66
- महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को पूर्व में सामान्य नियन्त्रण एवं अधिक्षण की शक्तिया राजस्थान मुद्रांक नियमावली के नियम 72 के तहत दी गई थी। इन शक्तियों को इस अधिनियम में शामिल करने के लिये धारा 66 में नया प्रावधान किया गया है।
- धारा-72
- दस्तावेज पर देय मुद्रांक का अन्तिम निर्धारण होने पर बकाया निकाली गई राशि पर आदेश की तिथि से 18 प्रतिशत ब्याज लेने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में यह प्रावधान राजस्थान मुद्रांक नियमावली 1955 के नियम 71(ए) में आदेश की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज लेने का प्रावधान था।

नए प्रावधान

- **धारा-76**
करापर्वचन की नियत से गलत तथ्य अंकित करने के प्रकरण में अभियोजन किये जाने तक यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डादेश पारित किया जाता है तो वह दण्ड के साथ अतिरिक्त मुद्रांक कर की बकाया राशि भी वसूल कर सकेगा एवं उसका भुगतान कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- **धारा-81**
यह धारा नई जोड़ कर धारा 85 के तहत प्रदत्त निरीक्षण के अधिकार में बाधा उत्पन्न करने पर दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

प्रावधानों में संशोधन

- धारा 5 में भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 4 में संशोधन करके एक ही मामले में एक से अधिक दस्तावेज पंजीबध होने पर मूल दस्तावेज पर मुद्रांक कर देने पर अन्य दस्तावेजों को मुद्रांक कर से मुक्त रखा गया है।
- धारा 9 में संकलित स्टाम्प ड्यूटी लेने के अधिकार राज्य सरकार के स्थान पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को दिये गये हैं ताकि राजस्व प्राप्ति में विलम्ब नहीं हो।
- धारा 33 में 20.00 रुपये की रसीद पर स्टाम्प ड्यूटी के स्थान पर 5000.00 रुपये की रसीद का प्रावधान किया गया है।

प्रावधानों में संशोधन

- धारा 36 दस्तावेज पर समुचित मुद्रांक युक्त होने का प्रमाण पत्र निष्पादन की तिथि से एक माह पश्चात पृष्ठांकन नहीं करने का प्रावधान है, अब कलेक्टर के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि से मुद्रांक कर देने पर उक्त प्रतिबंध को शिथिल करने हेतु द्वितीय परन्तुक में संशोधन किया गया है।
- धारा 39 में अपर्याप्त मुद्रांक पर निष्पादित दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करने के प्रावधान को इस धारा में संशोधन के साथ शामिल किया गया है।
- धारा 42 में कलेक्टर मुद्रांक को मूल दस्तावेज भिजवाने पर खो जाने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए प्रमाणित प्रति को नए एक्ट उप धारा 2 के रूप में शामिल किया गया है।

प्रावधानों में संशोधन

- धारा 51 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 ए में आवश्यक संशोधन करके पंजीयन करके लौटाने के पश्चात भी कमी मालियत के मामले में पंजीयन अधिकारी को रेफरेंस करने का अधिकार देने हेतु उपधारा 2 नई जोड़ी गई है।
- धारा 53 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 सी में आवश्यक संशोधन करके पंजीयन करके लौटाने के पश्चात गलत वर्गीकरण के मामले में पंजीयन अधिकारी को रेफरेंस करने का अधिकार देने हेतु उपधारा 2 नई जोड़ी गई है।

प्रावधानों में संशोधन

- धारा 65 में रिवीजन की मयाद आदेश की तिथि से 90 दिन व बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की शर्त का प्रावधान किया गया है।
- धारा 75 मुद्रांक कर को प्रभावित करने वाले तथ्यों को छुपाने पर 3 वर्ष की सजा के साथ 5000.00 रुपये जुर्माने के प्रावधान को संशोधन कर, 3 वर्ष तक की सजा एवं 20000.00 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- धारा-76 करापर्वचन की नियत से गलत तथ्य अंकित करने के प्रकरण में अभियोजन किये जाने तक यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डादेश पारित किया जाता है तो वह दण्ड के साथ अतिरिक्त मुद्रांक कर की बकाया राशि भी वसूल कर सकेगा एवं उसका भुगतान कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

निर्देश और पुनरीक्षण

(Reference and Revision)

1. कमी मुद्रांक के प्रकरण :-

- जिन दस्तावेजों में निश्चित मुद्रांकों से कम मुद्रांक लगे होते हैं या बिना मुद्रांक पर निष्पादित होते हैं, ऐसे दस्तावेजों को कमी मुद्रांक पर निष्पादित माना जाकर रेफरेन्स की कार्यवाही की जाती है।
- अधिनियम की धारा 37
- उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर
- निरीक्षण के दौरान कमी मुद्रांक या बिना मुद्रांक का दस्तावेज पाये जाने पर
- किसी लोक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में यह पाये जाने पर
- कि दस्तावेज कम मुद्रांक या बिना मुद्रांक पर निष्पादित है,
- तो उसे निरोध (इम्पाउण्ड) करने का प्रावधान
- धारा 42 के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को भिजवाने का प्रावधान है।
- धारा 54 के तहत संबंधित पक्षकारों को अन्तर राशि जमा कराने का अवसर दिया जाना आवश्यक

2. कमी मालियत के प्रकरण :-

(क) दस्तावेज पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर पक्षकारों द्वारा बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर अदा नहीं करने की स्थिति में मूल दस्तावेज अधिनियम की धारा 51 (1) में रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) को धारा 51 (3) के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जाना

(ख) दस्तावेज पंजीबद्ध करके लौटाने के पश्चात् धारा 51 (2) के तहत पक्षकार से मूल दस्तावेज तलब नहीं होने की स्थिति दस्तावेज की सत्य प्रति के आधार पर धारा 51 (4) के तहत रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) को किये जाने का प्रावधान है।

धारा 54 के तहत अन्तर राशि जमा कराने के लिए संबंधित पक्षकारों को नोटिस

3. गलत वर्गीकरण के मामलों में रेफरेन्स :-

- (क) दस्तावेज पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर आवश्यक जॉब के पश्चात् यदि दस्तावेज गलत प्रकृति का पाया जाता है
- धारा 53(1) के तहत राशि जमा नहीं कराने पर पंजीयन से पूर्व या पश्चात् मूल दस्तावेज
 - धारा 53(3) के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।
 - (ख) दस्तावेज पंजीयन करके लौटाने के पश्चात्
 - पंजीयन अधिकारी की गलती से या अन्यथा दस्तावेज गलत प्रकृति के रूप में पंजीबद्ध होना पाया जाता है तो
 - धारा 53 (2) के तहत मूल दस्तावेज पक्षकार से तलब किये जाने का प्रावधान
 - पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दस्तावेज की सत्य प्रति के आधार पर रेफरेन्स किया जाना
 - धारा 53 (4) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान
 - धारा 53 (5) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाये जाने या स्वयं के ध्यान में आने पर स्वविवेक के आधार पर कार्यवाही करने का प्रावधान
 - धारा 54 संबंधित पक्षकार को कमी मुद्रांक कर जमा कराने हेतु सूचित किया जाना आवश्यक

राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

- धारा 72 में मुद्रांक शुल्क के संबंध में पारित आदेश के अंतर्गत बकाया राशि जमा नहीं कराने पर आदेश की दिनांक से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवर्ति दर से ब्याज देय होने का प्रावधान है।
- धारा 73 में अपर्याप्त स्टाम्प पर दस्तावेज निष्पादित करने पर शास्ति रूपये 5000.00 तक का प्रावधान है।
- धारा 74 में एडेसिव स्टाम्प को केन्सिल नहीं करने की शास्ति को 1000.00 रूपये तक करने का प्रावधान है।

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

- धारा 75 में मुद्रांक कर को प्रभावित करने वाले तथ्यों को छुपाने पर 3 वर्ष तक की सजा एवं 20000.00 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
- धारा 76 में करापवंचन की नियत से गलत तथ्य अंकित करने के प्रकरण में अभियोजन किये जाने तक यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दण्डादेश पारित किया जाता है तो वह दण्ड के साथ अतिरिक्त मुद्रांक कर की बकाया राशि भी वसूल कर सकेगा एवं उसका भुगतान कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

Schedule for stamp duty

S. no	Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
1	Adoption deed	3	Rs 100
2	Agreement to sale without possession	5(bb)	3%
3	Agreement to sale with possession	21	5%(market value)
4	Agreement of loan	5(bbb)	0.1%
5	Agreement/Power of Dovelpment	5(bbbb)	1%(marketvalue)
6	Agreement	6	Rs 100
7	Award	13	Rs 100
8	Cancellation deed	16	Rs 100
9	Certificate of sale	17	5%(on consideration)
10	counterpart	23	Rs10

Schedule for stamp duty

S. no.	Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
11	Correction deed/supplementary deed	24	Rs 100
12	Divorce deed	27	Rs 50
13	Exchange Deed	29	5%(market value of larger share)
14	Exchange deed (Agri. land s 48 RTAct)	29	0
15	Mortgage Deed without possession	37	5% (on consideration)
16	Mortgage deed with possession	37	5% (market value)
17	Mortgage deed of housing loan from banks	37	1% (7-3-94)
18	Mortgage deed by servant of registered institution for housing loan	37	1%
19	Mortgage Deed govt. servant	37	0
20	Mortgage for housing loan in LIG	37	0

Schedule for stamp duty

S. no.	Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
21	Mortgage for Agriculture purpose	37(27.11.98)	0
22	Power of Att. Gen. (oth. than blood) For transfer of immovable prop., (mother, father, brother, sister, wife, son, daughter, grand son grand daughter.)	44ee(12.7.04)	2%
23	Power of Att. for sale of immovable prop. (within blood)	44 (12.7.04)	2000
24	Power of Att. (Authentication)	Sec.33	0
25	Power of att. (General)	44 (f)	Rs 50
26	Power of att. (Consideration)	44 (e)	5%
27	Partnership Deed	43	500
28	Partition Deed	42	5%
29	Partition (Ancestral) notific.9-7-98	42	1%(Max Rs 10000)
30	Partition deed of Ancestral Agri. land	42	0

Schedule for stamp duty

S. no	Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
31	Lease deed below 20 Years (Resi.)	33 (5.3.03)	1%
32	Lease deed below 20 Years (comm.)	33 (5.3.03)	2%
33	Lease deed more than equal to 20 Yrs	33	5% (marketvalue)
34	Mining lease/Trans. of Mining lease (dead rent double plus other expense)	33 Not. 24/8/07	1%
35	Consent deed(NOC) for Mining lease	21 (15.1.98)	5%
36	Trust deed	56	60 Rs
37	Trust revocation	56	50 Rs
38	Settlement (In fav. of family Members)	51(30.3.2000)	2.5%
39	Surrender of Lease	54	100
40	Dissolutions of Partnership	43	500

Schedule for stamp duty

S. no	Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
41	Release deed (Ancestral)	48	100 Rs.
42	Release deed (Ancestral) agri. land	48	100 Rs.
43	Release deed (Non Ancestral)	489 (14.1.04)	5%
44	Gift deed	31	5%
45	Gift deed (Wife, Mother, Sister, Daughter-in-law Brother, son)	31 (12.7.04)	2.5 %
46	Will	-	0
47	Mortgage for non Agriculture purpose from Bank & any Financial Institution	37	1%
48	Sick Unit (Industrial) (26.7.03)	u/s 29 rfc act	0
49	Trans. of Lease by way of Assignment	55	5%(marketvalue)
50	Lease deed for local bodies (consideration+2 yrs rent+ penalty +interest if any)	33 (23.02.07)	5%

Schedule for stamp duty

S. no	Type of document	Article no.	Rate of stamp duty
51	gift deed in favor of grampanchayat / panchayat samiti	Notific. 26.3.99	0
52	Partition deed of Ancestral Agri. Land	Notific. 26.3.99	0
53	Construction RCC	Notific. 08.12.09	Rs.600 per Sq. feet
54	Construction Patti pos	Notific. 08.12.09	Rs.400 per Sq. feet
55	Teen shed		Rs.1500 per Sq. Meter
56	Boundary wall		Rs.300 per running Meter

Rate of construction cost redefined

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, Dated: 08/12/2009

In exercise of the powers conferred by rule 38 of the Rajasthan Stamp Rules, 2006 and in pursuance of this Department's notification No. F.12/2007(Tax/2005-22) dated 24/05/2005, the State Government hereby determines the following rates of construction for the assessment of the market value of the property, namely:-

(i) RCC construction	Rs. 600 per sq. feet
(ii) Patti Pos construction	Rs. 400 per sq. feet

(No. F.230(FD)/Tax/08-07)
By Order of the Government,

(Vaibhav Gulriya)
Dy. Secretary to the Government

Notification regarding stamp duty in cash



CIRCULAR NO.27/2010 DATED 01-09-2010

4.5 नारियल अन्नपत्र के लिए संचालन में ली जाने वाली स्थिति विधिवत-निगमनी संख्या (80/03) 3630/08 राजस्व-सूचना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तन विभाग 13.1.10 द्वारा यह व्यवस्था है कि सामग्रीय नगरपालिका द्वारा किए गए अनुदानों में निगमित होने वाले विकल्प-धन पर सुदृढ सुझाव प्रस्तुत किया जाये और पंजीकृत होकर प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के अन्तर्गत अधिनियम की अन्तर्गत इस प्रावधानों में उपरोक्त व्यवस्था द्वारा अर्पित (रिजिस्ट्रार) 27.9.07 राजस्व-सूचना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तन विभाग के अधिकार पर किया है, जिसकी प्रतिलिपि विभाग निम्नांकित है :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine the value of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

INDIAN REGISTRATION ACT 1908

■ भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908

Document of which registration is compulsory

- SEC 17
- 1(a) Instrument of gift
- (b) Instrument which operate to create ,declare, assign, limit or extinguish whether in present or in future, any right title or interest whether vested or contingent of the value above hundred rupees to or in immovable property
- (c) Instrument which acknowledge the receipt or payment of any consideration
- (d) lease of immovable property for any term exceeding one year
- (e) Instrument transferring or assigning any decree or order of a court as per sub sec (b)
- (f) agreement to sell of immovable property possession whereof is handed over
- (g) irrevocable power of attorney relating to transfer of immovable property

Document of which registration is compulsory

- 17 (2) Nothing in clause (b) and (c) sub sec(1) applies to
- (i) Any composition deed
- (ii) shares in a joint-stock-company
- (iii) Any debenture issued by any company
- (iv) Transfer of any debenture
- (v) document merely creating a right to obtain another document
- (vi) Any decree or order of court
- (vii)Any grant of immovable property by the government
- (viii) Instrument of partition by revenue officer
- (ix) instrument of collateral security
- (x) Any order granting a loan under agriculture loans act 1884
- (xi) any endorsement on mortgage deed
- (xii) certificate of sale auction by civil or revenue officer
- (xiii) any instrument referred in sub section (5) of sec. 89
- (3) authorities to adopt a son

Preparation of document

20-दस्तावेज,जिनमें अन्तरालेखन ,खाली स्थान,उद्धरण या परिवर्तन है।

- (1)रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर किसी भी ऐसी दस्तावेज को जिसमें कोई अन्तरलेखन खाली स्थान उद्धरण या परिवर्तन हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिबन्धित करने से स्वविवेक में उस दशा के सिवाय इन्कार कर सकेगा जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ऐसे अन्तरलेखन ,खाली स्थान ,उद्धरण या परिवर्तन को अपने हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित कर देते है।
- (2)यदि रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर किसी ऐसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करता है तो उसके रजिस्ट्रीकरण के समय वह ऐसे अन्तरलेखन ,खाली स्थान उद्धरण या परिवर्तन के बारे में टिप्पणी रजिस्टर में दर्ज कर लेगा।

Preparation of document

- 21-सम्पत्ति का वर्णन और मानचित्र या रेखांक :- स्थावर सम्पत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज , जब तक कि उसमें ऐसी सम्पत्ति की पहचान के लिए प्रर्याप्त ऐसी सम्पत्ति का वर्णन अन्तर्विष्ट न हो ,रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहीत न की जाएगी।
- (2)नगरो और गृहो का वर्णन उनके सामने वाले मार्ग या सडक के (जो विनिर्दिष्ट की जाएगी) उत्तर में या अन्य दिशा में उनके स्थित होने के रूप में उनके वर्तमान और भूतपूर्व अधिमार्गों से और यदि ऐसे मार्ग या सडक पर के गृहो पर संख्यांक पड़ें हो तो उनको संख्यांक देकर ,किया जायेगा

Presentation

- 23-दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय- धाराओ 24,25,और 26 में अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अधधीन रहते हुए यह है कि विल से गिनन कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए उस दशा के सिवाय प्रतिगृहीत न की जायेगी जिसमें अपने निष्पादन की तारीख से चार मास के अन्दर व समुचित आफिसर के समक्ष इस प्रयोजन के लिए उपस्थित कर दी गई हो,
- परन्तु डिक्री या आदेश की प्रति ,डिक्री या आदेश के किये जानें के दिन से चार मास के अन्दर या जहाँ किवह अपीलनीय हैं वहाँ अपनी अन्तिम होने की तारीख से चार मास के अन्दर उपस्थित की जा सकेगी।
-
- 27-विल के किसी भी समय उपस्थित या निक्षिप्त किया जा सकेगा- विल एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित रीति से किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित या निक्षिप्त की जा सकेगी।

Presentation

32-दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित करने वाले व्यक्ति

- धारा 31,88 और 89 में वर्णित दशाओ को छोडकर , इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली हर दस्तावेज ,चाहे ऐसा रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य चाहें वैकल्पिक हो, समुचित रजिस्ट्रीकरण कार्यालय मे निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा उपस्थापित की जायेगी।
- (क)उसे निष्पादित या उसके अधीन दावा करने वाला किसी डिक्री या आदेश की प्रति की दशा मे उस डिक्री या आदेश अधीन दावाकरने वाला कोई भी व्यक्ति या
 - (ख) ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि या समनुदेशिती अथवा
 - (ग) ऐसे व्यक्ति ,प्रतिनिधि या समनुदेशित का ऐसा अभिकर्ता जो एतस्मिन्पश्चात् वर्णित रीति से निष्पादित और अधिप्रमाणिकृत मुख्तारनामों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं।

Preparation of document

- 21(3) अन्य गृहों और भूमियों का वर्णन उनके नाम से, यदि कोई हो ,और उस प्रादेशिक खण्ड में , जिसमें वे स्थित है होने के रूप में और उनकी उपरिष्ठ वस्तुओं से उन सडकों और अन्य सम्पत्तियों से, जिनसे वे मिली हुई है, और उनके वर्तमान अधिभोगो से और जहाँ कि यह साध्य हो वहाँ सरकारी मानचित्र या सर्वेक्षण के प्रति निर्देश से भी किया जाएगा।
- (4) कोई भी निर्वसीयती दस्तावेज ,जिसमें उस सम्पत्ति का , जो उसमें समाविष्ट हों मानचित्र या रेखांक अन्तर्विष्ट हैं रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक प्रतिगृहीत न की जाएगी जब तक कि उस दस्तावेज के साथ मानचित्र या रेखांक की सही प्रति न हो या उस दशा में जब कि ऐसी सम्पत्ति कई जिलो में स्थित हैं मानचित्र या रेखांक की उतनी सही प्रतियों न हो जितनी के ऐसे जिलों की संख्या हैं।

Presentation

- 28-भूमि संबंधी दस्तावेजो के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान
- इस माग में अन्यथा उपबंधित को छोडकर ,धारा17 की उप धारा (1) के खण्ड(क) ,(ख),(ग),(घ)और (ङ) में वर्णित हर दस्तावेज ,धारा 17 की उप धारा (2) में वर्णित हर दस्तावेज वहाँ तक, जहाँ तक कि ऐसी दस्तावेज स्थावर सम्पत्ति प्रभाव डालती हैं और धारा 18 के खण्ड (क),(ख),(ग) और (गग) में वर्णित हर दस्तावेज उस उपरजिस्ट्रार के कार्यालय मे रजिस्ट्रीकरण के लिए उप स्थापित की जाएगी जिसके उप-जिले में वह जिलें में सब सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है जिससे ऐसी दस्तावेज संबंधित हैं।

Presentation

■ 32(A) compulsory affixing of photographs etc

- -Every person presenting any document at the proper registration office under sec. 32 shall affix his passport size photograph and fingerprints to the document .
- provided that where such document relates to the transfer of ownership of immovable property, the passport size photograph and fingerprints of each buyer and seller of such property mentioned in the document shall also be affixed to the document.

Presentation

34-रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जाँच :-

- (1) इस भाग में और धाराओं 41,43,45,69,75,77,88,और 89में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधधीन रहते हुए कोई भी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत न की जायेगी जब तक कि उसको निम्नादित करने वाले व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि ,समनुदेशिती या पूर्वोक्त जैसे रूप में प्राधिकृत अधिकर्ता धाराओं 23,24,25 और 26 के अधीन उसे उपस्थापित करने के लिए अनुज्ञात समय के अन्दर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष उप संजात न हो।
- परन्तु यदि सब ऐसे व्यक्ति अर्जेंट आवश्यकता या अपरिवर्तनीय घटना के कारण ऐसे उपसंजात नहीं होते है तो रजिस्ट्रार उन दशाओं जिनमें की उपसंजाति होने में विलम्ब चार मास से अधिक नहीं है ,यह निदेश द सकेगा कि समुचित रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम के दस गुने से अनधिक जुर्माने के उस जुर्माने के अतिरिक्त ,यदि कोई हो , जो धारा 25 के अधीन संदेय है ,संदाय पर उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा।
- (2) उप धारा (1) के अधीन उप संजातिया एक ही समय पर या विभिन्न समयों पर हो सकेगी।

Presentation

35-निष्पादन की क्रमशः स्वीकृति और प्रत्याख्यान पर प्रक्रियाँ -

- (1) (क) यदि दस्तावेजों को निष्पादन करने वाले सब व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के समक्ष स्वयं उपसंजात होते है। और वह उन्हें स्वयं जानता है या यदि उसका अन्यथा समाधान हो जाता है। कि वे वही व्यक्ति है ,जो व्यक्ति होने का वे अपनी बाबत व्यपदेश करते है, और यदि दस्तावेज के निष्पादन को वे सब स्वीकृत कर लेते हैं अथवा
- (ख) जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि ,समनुदेशिती या अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होता है ऐसा प्रतिनिधि ,समनुदेशिती या अभिकर्ता निष्पादन को स्वीकार कर लेता है अथवा
- (ग)यदि दस्तावेज को निष्पादन करने वाला व्यक्ति मर गया है और उसका प्रतिनिधि या समनुदेशिती , रजिस्ट्रकर्ता ऑफिसर के समक्ष उपसंजात होता है और निष्पादन को स्वीकार होता है , तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर दस्तावेज की धारा 58 से लेकर धारा 61 तक की धाराओं में , जिनके अन्तर्गत वे दोनो धाराएँ भी हैं निर्दिष्ट तौर पर रजिस्ट्रीकरण करेगा।

Presentation

40.विल व दत्तगृहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के हकदार व्यक्ति

- (1)वसीयकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात् विल के अधीन निष्पादक के रूप में या अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसें रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा
- (2) किसी भी दत्तक प्राधिकार दाता या उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राधिकार का आदाता या दत्तक पुत्र उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

Presentation

- (3) रजिस्ट्रकर्ता ऑफिसर तदुपरि
- (क) यह जाँच करेगा कि ऐसी दस्तावेज उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित की गई थी या नहीं जिनके द्वारा उनका निष्पादित किया जाना तात्पर्य है,
- (ख) अपने समक्ष उपसंजात होने वाले और यह अभिकथन करने वाले कि वह दस्तावेज उन्होंने निष्पादित की है, व्यक्तियों की अनन्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा
- (ग)जबकि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि ,समनुदेशिती के या अभिकर्ता के रूप में उपसंजात हो रहा है तब ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपसंजात होने के अधिकार के बारे में अपना समाधान करेगा।
- (4) उपधारा(1) के परन्तु के अधीन निदेश के लिए कोई भी आवेदन उपरजिस्ट्रार के पास निविष्ट किया जा सकेगा जो तत्क्षण उसे उस रजिस्ट्रार के भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है।
- (6) इस धारा की कोई भी बात ठिकियों या आदेशों की प्रतियों का लागू नहीं है।

Presentation

- (2) रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर इस उद्देश्य से कि वह अपना समाधान कर ले कि उसके समक्ष उपसंजात होने वाले व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जो व्यक्ति होने का वे अपनी बाबत व्यपदेश करते है या इस अधिनियम द्वारा अनुध्यात किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सके।
- (3) (क) यदि कोई व्यक्ति ,जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादन होना तात्पर्यित है उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे अथवा
- (ख) यदि कोई ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को अप्राप्तवय जड पागल प्रतीत होता है अथवा
- (ग) यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज का निष्पादन होना तात्पर्यित है मर गया है। और उसका प्रतिनिधि या समनुदेशिती उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान करे तो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसे प्रत्याख्यान करने वाले प्रतीत होने वाले या मृत व्यक्ति का जहाँ तक संबंध है वहाँ तक दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देगा।

Presentation

41- विलो का और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रीकरण -

- (1) वसीयत या दाता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उप स्थापित की गई विल या दत्तक प्राधिकार किसी भी अन्य दस्तावेज की रीति जैसी ही रीति से रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा
- (2) उस विल या दत्तकग्रहण प्राधिकार का जो उसें उपस्थापित करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उप स्थापित किया जावे उस दशा में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का समाधान हो जावे (क) विल या प्राधिकार यथा स्थिति वसीयत कर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था (ख) वसीयकर्ता या दाता मर गया है तथा (ग) विल या प्राधिकार को उपस्थापित करने वाला व्यक्ति उसें स्थापित करने का धारा 40 के अधीन हकदार है।

Registration

- 60-रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र –
- 1- धारा 34, 35 व 58 और 59 के उप बन्धों में से उन उपबन्धों का जो रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किए गये किसी दस्तावेज को लागू हैं, अनुपालन हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर ऐसे प्रमाण, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्द अन्तर्वित्त हो, उस पुस्तक के संख्यांक और पृष्ठ के सहित जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गयी है, उस पर पृष्ठांकित करेगा।
- 2- ऐसा प्रमाण रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित और दिनांकित किया जावेगा और तब वह यह साबित करने के प्रयोजन के लिये ग्राह्य होगा कि वह दस्तावेज इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित रिति से सम्यक रूप में रजिस्ट्रीकृत की गयी है और धारा 59 में निर्दिष्ट पृष्ठांकन में वर्णित तथ्य वैसे ही घटित हुए हैं, जैसे कि उसमें वर्णित है।

Inspection, Search & copying

- 57-रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कुछ पुस्तकों और अनुक्रमणीकाओं का निरीक्षण करने देंगे और प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियाँ देंगे
- (1) इस निमित्त देय फीस की पूर्व अदायगी किये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 1 और 2 पुस्तक संख्या 1 से संबंध अनुक्रमणिकाएँ ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सब समयों पर निरीक्षण के लिए खुली होगी जो कि उनके निरीक्षण करने के लिए आवेदन करें और धारा 62 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए ऐसी पुस्तकों की प्रविष्टियों की प्रतियाँ ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले सब व्यक्तियों का दी जावेगी।
- (2) उन्ही उप बन्ध के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 3 की और उससे संबंध अनुक्रमणिकाओं की प्रविष्टियों की प्रतियाँ उन दस्तावेजों का जिनसे की ऐसे प्रविष्टियां संबंध है। निष्पादन करने वाले व्यक्ति को या उनके अभिकर्ताओं की और निष्पादकों की मृत्यु के पश्चात् (न कि उसके पूर्व) ऐसी प्रतियों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को दी जावेगी।

Penal provisions

- 81- दस्तावेजों का पृष्ठांकन, नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण क्षति पहुँचाने के आशय से अशुद्धतः करने के लिये शास्ति
- इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसके कार्यालय में नियुक्त हर नकल, अनुवाद या रजिस्ट्रीकरण का भार साधन करते हुए ऐसे दस्तावेजों को ऐसी रीति से, जिसे वह जानता है या विश्वास करता है, कि वह अशुद्ध है इस आशय से कि एतद् द्वारा या यह जानते हुए यह सम्भाव्य है कि वह एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 में यथा परिभाषित क्षति पहुँचायेगा, पृष्ठांकित करेगा, नकल करेगा, अनुदित करेगा, या रजिस्ट्रीकृत करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित होगा।

Record

- 51-रजिस्ट्री की पुस्तकों जो विभिन्न कार्यालयों में रखी जावगी –
- क-सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में
- पुस्तक संख्या 1- स्थावर सम्पत्ति से संबंधित निर्वसीयती दस्तावेजों का रजिस्टर
- पुस्तक संख्या 2-रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए कारणों का अगितेज
- पुस्तक संख्या 3-विलो का रजिस्टर
- पुस्तक संख्या 4- विविध रजिस्टर
- (ख) रजिस्ट्रार के कार्यालय में
- पुस्तक संख्या 5- विलों के निक्षेपों का रजिस्टर

Inspection, Search & copying

- (3) उन्ही उप बन्ध के अधीन रहते हुए पुस्तक संख्या 4 की और उससे संबंध अनुक्रमणिकाओं की प्रतियाँ उन दस्तावेजों का जिनके की ऐसी प्रविष्टियां निर्देश करती है। निष्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि को दी जावेगी।
- (4) पुस्तक संख्या 3 और 4 में की प्रविष्टियों के लिए इस धारा के अधीन अपेक्षित तलाशी केवल रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा की जावेगी।

Penal provisions

- 82- मिथ्या कथन करने, मिथ्या नकलों या अनुवादन को परिदत्त करने, छद्म प्रतिरूपण और दुष्करण के लिये शास्ति
- जो कोई (क) कोई मिथ्या कथन चाहे वह शपथ पर हो या नहीं, और चाहे वह अभिलिखित किया गया हो या नहीं, ऐसे ऑफिसर के समक्ष जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में साक्ष्य करेगा अथवा (ख) रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर को धारा 19 या 21 के अधीन किसी कार्यवाही में किसी दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साक्ष्य परिदत्त करेगा अथवा (ग) किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा और ऐसे धरे रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में कोई दस्तावेज उपस्थापित करेगा या कोई स्वीकृति या कथन करेगा या कोई समन या कमीशन निकलवायेगा या कोई अन्य कार्य करेगा या (घ) इस अधिनियम द्वारा दंडनीय की गयी किसी बात का दुष्करण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

Penal provisions

- 83— रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा
- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिये जो रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर के ज्ञान में उसकी अपनी पदीय हैसियत में आया है, अभियोजन उस महानिरीक्षक, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी अनुज्ञा से प्रारम्भ किया जा सकेगा जिसकी यथास्थिति क्षेत्र, जिले या उप जिले में अपराध किया गया है ।
- (2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अन्य शक्तियाँ प्रयोग करने वाले ऐसे किसी भी न्यायालय या ऑफिसर द्वारा विचारणीय हो ।

Safe guards

- 86— रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा अपनी पदीय हैसियत से सदभाव पूर्वक की गयी या इन्कार की गयी किसी बात के लिये दायी न होगा
- 87— ऐसे की गयी कोई भी बात नियुक्ति या प्रक्रिया में त्रुटि के कारण अविधि मान्य नहीं होती ।
- इस अधिनियम या एतद् द्वारा निरस्त किसी भी अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक किसी भी रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा की गयी कोई भी बात उसकी नियुक्ति या प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि के कारण अविधि मान्य नहीं समझी जावेगी

Record movement

- नियम 20— पुस्तकों तथा रजिस्ट्रों का न्यायालय में प्रस्तुतीकरण (नियम 8 भी देखे)
- उप रजिस्ट्रार स्वयं अपने प्राधिकार से अपने कार्यालय के रजिस्ट्रों तथा पुस्तकों को न्यायालयों में प्रस्तुत करने से शक्ति से निषिद्ध किये गये हैं, जब कोई उप रजिस्ट्रार अपने कार्यालय से रजिस्ट्रों या पुस्तकों के प्रस्तुत किये जाने के लिये किसी न्यायालय से आदेश या सम्मन सीधे प्राप्त करें तो उसे इस पृष्ठांकन के साथ वापस कर देना चाहिये कि वह जिला रजिस्ट्रार के प्राधिकार के बिना रजिस्टर या पुस्तकों को प्रस्तुत करने के लिये आसक्त नहीं है और कि यदि न्यायालय रजिस्ट्रों या पुस्तकों की अपेक्षा करे तो आदेश या सम्मन जिला रजिस्ट्रार को सीधे सम्बोधित किया जाना चाहिये । ऐसे सम्मन या आदेश प्राप्त करने वाला जिला रजिस्ट्रार मूल अभिलेखों को प्रस्तुतीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ।

Safe guards

- 84— रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर लोक सेवक समझे जावेंगे
- 1— इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हर रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर भारतीय दंड संहिता 1860 के अन्दर लोक सेवक समझा जावेगा ।
- 2— हर व्यक्ति अपने से ऐसा करने के अपेक्षा ऐसे रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा किये जाने पर उसे जानकारी देने के लिये वैध रूप से आबद्ध होगा ।
- 3— भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228 में न्यायिक कार्यवाही शब्दों के अन्तर्गत इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही समझी जावेगी

Safe guards

- 88— सरकारी ऑफिसरों या कतिपय लोक कृत्य कारियों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण
 - इस अधिनियम के अधीन किसी बात के होते हुए भी
 - (क) सरकार के किसी भी ऑफिसर के लिये अथवा
 - (ख) किसी भी महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या शासकीय समनुदेशिती के लिये अथवा
 - (ग) शेरिफ, रिसेवर या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के लिये अथवा
 - (घ) किसी ऐसे अन्य लोकपद के लिये जैसा राज्य सरकार शासकीय राज पत्र में तन्निमित्त निकाली गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे,
 - तत्समय धारक के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह अपने द्वारा या अपने पदीय हैसियत में निष्पादित किसी लिखित के लिये रजिस्ट्रीकरण से संशयत किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपसंजात को या धारा 58 में उपबधित हस्ताक्षर करे ।

Objections and noting

- नियम 39— रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों का दस्तावेजों की विधि मान्यता से संबंध नहीं होगा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए की रजिस्ट्रीकरण के लिए उनकेसमक्ष लाये गये दस्तावेजों की विधि मान्यतासे उनका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और कि नीचे दिये गये ऐसे किन्ही भी निकाय पर रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करना उनके लिए गलत होगा
- 1— निष्पादि ऐसी सम्पति का संव्यवहार कर रहा हैं जो उसकी नहीं है।
- परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि सम्पति सरकार अथवा स्थानीय निकाय से संबंधित नहीं है।
- 2— लिखित में ऐसे तृतीय प्रक्षकारों के अधिकारों का अतिलंघन किया गया हैं जो संव्यवहार के पक्षकार नहीं हैं ।
- 3— संव्यवहार कपटपूर्ण है।
- 4— निष्पादि दस्तावेजों की कतिपय शर्तों से सहमत नहीं हैं
- 5— निष्पादि दस्तावेज की शर्तों से परिचित नहीं है
- 6— निष्पादि में घोषण की है कि निष्पादान करने में उसे धोखा दिया गया है
- 7— निष्पादि अंधा हैं और गिन नहीं संकता ।

Objections and noting

- ये और ऐसे ही मामलों समक्ष विधि –न्यायालयों द्वारा विनिश्चय यदि आवश्यक हो के लिए हैं और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों के रूप में उनके संबंध में कुछ नहीं करना है,
- यदि दस्तावेज सक्षम व्यक्तियों द्वारा उचित रीति से उचित कार्यालय में विधि द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत किया जाये और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का समाधान हो जाये कि अभिकथित निष्पादि वही व्यक्ति हैं जो स्वयं को बताते हैं, और यदि ऐसा व्यक्ति निष्पादन स्वीकार करता है।
- तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी इसके संभव प्रभावों को ध्यान में लाये बिना दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आबद्ध हैं
- किन्तु रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उक्त 1 से 7 में उल्लेखित प्रकार के आधारों की ऐसी आपत्तियों की टिप्पणी करेगा जो धारा 58 द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन में उसके नोटिस में लाये जायेंगे ।

लेख्यपत्र लोकनीति के विरुद्ध घोषित करने हेतु जारी

अधिसूचनाओं के संबंध में

- राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खण्ड पीठ याचिका संख्या 3554/99 बसन्त नाहटा बनाम राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 28.11.2000
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम बसन्त नाहटा ए.आई.आर 2005, एस.सी. 3401 में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 22-ए को असंवैधानिक घोषित करने के फलस्वरूप धारा 22-ए एवं इसके अधीन जारी समस्त अधिसूचनाएं प्रभावी नहीं रही है।
- वित्त,विधि प्रकोष्ठ विभाग का पत्र क्रमांक प.3(106) वित्त/वि.प्र./99 दिनांक 31.05.08
- महानिरीक्षक प.व.मु अजमेर का परिपत्र क्रमांक 11/08 दिनांक 12.06.08

THANKS

धन्यवाद
